

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

8/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्पकोर्ट  
मण्डलीमासिक में पेश हुई। वकील पदाकारान  
पक्षकारान उपर नहीं पत्रावली का अपलोड  
लोक अदालत में भेजा है बिना सपा।  
मनन किया गया। वही डाटा पूर्व आदेश दि  
8/5/18 से आदेशों एक साक्ष्य वही पेश नहीं  
किये। वही के वही साक्ष्य पेश करते हेतु  
अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद भी  
साक्ष्य पेश नहीं किये गये। अतः वही हेतु  
प्रदुर्ग वड आदेश में निष्पत्ति उमे खासि  
किया जा रहा है। पत्रावली के लल शुभा हेतु  
इस कम्प से कप हे निर्जित राजस्व लोक  
अदालत कैम्प कोर्ट मण्डलीमासिक में  
सुनाया गया।

MAAD 18 का मंडलीमासिक

सहायक कलक्टर  
साँभर लोक